छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक 2832/1872/2021/16 नवा रायपुर अटल नगर,दिनांक 27/11/21

प्रति,

1. आयुक्त,
   नगर पालिका निगम ....
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद...........
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पंचायत ....
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत ....
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत ....

विषय :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण उपकर अधिनियम 1996 के तहत् उपकर के संबंध में।

------00------

विषयांतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के अनुसार प्रदेश मे निर्माण की कुल लागत का 01 प्रतिशत भारत सरकार के अधिसूचना कमांक 2899, दिनांक 26.09.1996 के अनुसार लिया जाना प्रावधानित है, जिसके परिपालन मे विभागीय पत्र क्रमांक 03, दिनांक 28.03.2016 द्वारा निजी एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यो हेतु अनुमानित निर्माण लागत रूपये 1,000 प्रति वर्गफीट मानकर उपकर संग्रहण हेतु निर्देशित किया गया था।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय के तेरहवीं बैठक दिनांक 16.07.2021 मे लिये गये निर्णय के आधार पर उक्त सीमा मे संशोधन करते हुए शहरी क्षेत्र के निर्माण कार्यो के लिये लोक निर्माण विभाग के वर्तमान मे प्रचलित मानक दर (S.O.R.) तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यो के लिये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मानक दर (S.O.R.) के आधार पर निर्माण प्राक्कलन की गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार वर्तमान प्रचलित मानक दर (S.O.R.) के आधार पर गणना कर उपकर कटौती किया जावे। उपकर की यह राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के वेबसाईट cglabour.nic.in में पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें।

(अमृत कुमार खलखो)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग

निरंतर...2

पृ0क्रमांक / 28327 / 1872 / 2021 / 16 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/11/21

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष, सचिव छ0ग0 शासन की ओर भेजकर निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ जिला कार्यालयों को निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. निज सहायक मा0 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नोडल अधिकारी, छ0ग0 राज्य असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. N.I.C शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग